न्यायालयः—विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम 2003, रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.)

(समक्ष : सचिन जैन)

// निर्णय की तारीख—01.08.2024 //

(विशेष प्रकरण क्रमांक—SC ELE/607/2020)

Registration No.– SC ELE/607/2020
Filing No. – 2161/2020
CNR No. – MP3801–002231–2020
Filing Date – 01.09.2020

परिवादी	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कंपनी लिमिटेड, रायसेन, द्वारा श्री नवनीत श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी/सहायक यंत्री, जिला रायसेन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्रीमती सुमन गुप्ता अधिवक्ता।
अभियुक्त	अंश उर्फ यशवंत राजपूत आत्मज—श्री खिलान राजपूत, उम्र—33 वर्ष, व्यवसाय—दुकानदारी, निवासी—सांची, थाना—सांची, तहसील एवं जिला रायसेन (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजमल जैन अधिवक्ता।

प्रारूप—ड

अपराध की तारीख	18.12.2018
परिवाद प्रस्तुति की तारीख	01.09.2020
आरोपों की विरचना की तारीख	11.11.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	07.02.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	01.08.2024
निर्णय की तारीख	01.08.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध, जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा—428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि

अभियुक्त क्र.–1	अंश राजपूत	16.08.22 समर्पण दिनांक	16.08.22	धारा–135 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	निरंक	निरंक

// निर्णय //

(आज दिनांक–01.08.2024 को घोषित।)

1. अभियुक्त के विरुद्ध **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135** के अंतर्गत अपराध के आरोप इस आशय के हैं कि वह, दिनांक–18.12.2018 को समय दोपहर लगभग 02:04 बजे, परिवादी कंपनी म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क.लि., रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.), जो अनुज्ञप्तिधारी है, की 25 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर से बेईमानीपूर्ण आशय से डायरेक्ट अवैध रूप से लगभग 1000 फिट पी.वी.सी. तार जोड़कर 5 एच.पी. की ट्यूबवैल मोटर का उपयोग अपने खेत में लगी गेहूं की फसल में करते हुये पाया गया, जिससे परिवादी कंपनी को टैरिफ के अनुसार नुकसानी राशि 42,447/– रुपये की राजस्व हानि हुई।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. परिवाद मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी विद्युत कंपनी की ओर से श्री नवनीत श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी/सहायक यंत्री, म.प्र.म.क्षे. वि.वि.कं.लि., रायसेन परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं। दिनांक–18.12. 2018 को समय दोपहर 02:04 बजे परिवादी विद्युत कंपनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किये गए विशेष निरीक्षण के दौरान अभियुक्त अंश राजपूत आत्मज खिलान राजपूत, निवासी–सांची, अवैध रूप से गेहूं के खेत में 25 के. व्ही.ए. ट्रांसफार्मर से 1000 फिट दूरी से सीधे तार जोड़कर 5 एच.पी. की मोटर से सिंचाई हेतु विद्युत का अनाधिकृत उपयोग करते हुए पाया गया। मौके पर विधिवत् पंचनामा एवं नियमानुसार कार्यवाही की गई। अभियुक्त के उक्त विद्युत चोरी करने से विद्युत अधिनियम, 2003 एवं म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. के टैरिफ अनुसार शमन शुल्क सहित कुल नुकसानी राशि का गणना पत्रक/अनंतिम निर्धारण आदेश निर्मित कर समस्त प्रपत्रों सहित परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध **विद्युत अधिनियम की धारा–135** के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

4. प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध **विद्युत अधिनियम की धारा–135** के अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोप से इनकार कर विचारण की मांग की और द.प्र.सं. की धारा–313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर उसके पास कोई खेत नहीं होना और झूठा प्रकरण बनाया जाना व्यक्त किया है।

5. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है कि :—

क्रमांक	विचारणीय प्रश्न
1.	क्या अभियुक्त ने **दिनांक—18.12.2018** को समय दोपहर **02:04 बजे** या उसके करीब **ग्राम सांची** स्थित खेत में परिवादी अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के **100 के.व्ही.ए.** ट्रांसफार्मर से सीधे तार को अवैध संयोजन के माध्यम से जोड़कर **5 एच.पी.** की विद्युत मोटर चलाते हुए विद्युत ऊर्जा की चोरी कारित की ?
2.	क्या अभियुक्त के उक्त विद्युत ऊर्जा की चोरी के कृत्य से परिवादी कंपनी को विद्युत अधिनियम एवं टैरिफ के अनुसार **42,447/—** रुपये की राजस्व हानि हुई ?
3.	क्या अभियुक्त विद्युत अधिनियम की धारा—154 के अंतर्गत परिवादी विद्युत कंपनी को उक्त ऊर्जा की हानि के फलस्वरूप सिविल दायित्व राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी है ?
4.	दोषसिद्धी एवं दंडादेश, यदि कोई हो ?

—// निष्कर्ष एवं कारण //—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—''1'' लगायत ''4'' का निराकरण —

6. तथ्यों की पुनरावृत्ति को रोकने एवं सुविधा की दृष्टि से सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. परिवादी विद्युत कंपनी की ओर से परिवादी साक्षी विद्यासागर (प.सा.1) एवं दुष्यंत सिंह (प.सा.2) को परीक्षित कराया गया है तथा अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।

8. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., रायसेन के तत्कालीन सहायक यंत्री सतर्कता विद्यासागर (प.सा.1) एवं सतलामतपुर के तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री (प.सा.1) ने अपने मुख्य—परीक्षण में सारतः दिनांक—18.12.2018 को समय दोपहर लगभग 02:04 बजे, स्वयं का गनपत अहिरवार लाइन इंस्पेक्टर सलामतपुर सहित ग्राम सांची में विद्युत चैकिंग हेतु अभियुक्त अंश राजपूत पिता खिलान राजपूत के खेत पर जाना और मौके पर अभियुक्त का कर्मचारी/हरवाहा सुखसेन कौल आत्मज रामप्रसाद का उपस्थित होकर विद्युत चैकिंग के दौरान 25 के.वी.ए. आर.के. लाजिकल वाले ट्रांसफार्मर से सीधे लगभग 1000 फिट दूरी से तीन पी.वी.सी. तार अवैध रूप से बेईमानीपूर्वक जोड़कर 5 एच.पी. की ट्यूबवैल मोटर से गेहूं के खेत में सिंचाई कर विद्युत चोरी किया जाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण ने मौके पर सामग्री जप्त कर उपस्थित व्यक्ति को

सुपुर्दगी में दे दिया जाना और सहायक यंत्री सतर्कता विद्यासागर (प.सा. 1) द्वारा प्रदर्श पी–1 का स्थल निरीक्षण पंचनामा तैयार किया जाना व्यक्त कर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षीगण के अनुसार मौके पर जांच दल के अन्य सदस्य द्वारा भी प्रदर्श पी–1 पर हस्ताक्षर किये गये थे। उपस्थित व्यक्ति/अभियुक्त द्वारा प्रदर्श पी–1 पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। साथ ही विद्यासागर (प.सा.1) ने अपने मुख्य–परीक्षण में अनंतिम निर्धारण आदेश प्रदर्श पी–2 तैयार किया जाना और अभियुक्त को उपमहाप्रबंधक कार्यालय रायसेन से नोटिस (कार्यालयीन प्रति प्रदर्श पी–3) प्रेषित किया जाना व्यक्त कर प्रदर्श पी–2 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं तथा कनिष्ठ यंत्री दुष्यंत सिंह (प.सा.2) ने अपने मुख्य–परीक्षण में अभियुक्त द्वारा मौके पर कोई रसीद नहीं दिया जाना व्यक्त किया है।

9. परिवादी साक्षी विद्यासागर (प.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि प्रकरण में मौका स्थल खेत अभियुक्त के स्वामित्व अथवा आधिपत्य में होने के संबंध में कोई राजस्व दस्तावेज प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न नहीं किये हैं और उक्त साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया कि लोकल लाइनमेन एवं उपस्थित व्यक्ति द्वारा आरोपी का खेत होना बताया गया था। मौका स्थल खेत अभियुक्त के आधिपत्य या स्वामित्व का होने के संबंध में ग्राम के पटवारी अथवा चौकीदार से शिनाख्ती नहीं करवाई। **मौका स्थल पर आरोपी उपस्थित नहीं था।** प्रदर्श पी–1 के पंचनामे में उपभोक्ता के प्रतिनिधि के रूप में सुखसेन कौल पुत्र रामप्रसाद कर्मचारी (कटनी) उल्लेखित है। उक्त अभिकथित उल्लेखित उपस्थित व्यक्ति ग्राम सांची का नहीं है। उक्त व्यक्ति के आरोपी से संबंधित होने हेतु उसने कोई भी पहचान प्रमाण पत्र नहीं लिया। प्रदर्श पी–1 पर उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और उक्त साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया कि उसने हस्ताक्षर करने से मना किया था। **मौका स्थल के आसपास के किसी भी स्वतंत्र एवं स्थानीय व्यक्ति को विद्युत चैकिंग कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया है।** प्रदर्श पी–1 के पंचनामे में मौका स्थल खेत का खसरा नंबर भी उल्लेखित नहीं है। प्रदर्श पी–1 में जप्त सामग्री में क्या सामग्री जप्त की गई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। उसने जप्त सामग्री को अपने कार्यालय में निक्षिप्त नहीं किया क्योंकि उनके पास लाइन मेन था, उसकी उम्र 60 साल थी। लोकल लाइनमेन गनपत अहिरवार की उम्र 60 वर्ष होना, वह बता रहा है, उसका उल्लेख प्रदर्श पी–1 में नहीं है।

10. इसी प्रकार दुष्यंत सिंह (प.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन तथ्यों को स्वीकार किया है कि **घटना स्थल पर उसे अंशू राजपूत नहीं मिले थे।** सुखसेन, अंशू राजपूत का हरवाहा है, इस संबंध में

कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। सुखसेन कौल, जो हरवाहा है, उसका नाम आदि के संबंध में प्रकरण में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। उक्त घटना स्थल खेत अंशू राजपूत का था, इस संबंध में उनके द्वारा कोई भी दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने जिसका खेत बताया था, उसके आधार पर उनके द्वारा खेत बना दिया गया था। **कर्मचारी द्वारा जो नाम बताया गया था, वह सही है या गलत है, उस संबंध में उसके द्वारा कोई तस्दीक नहीं की गई।** इस संबंध में अंशू राजपूत से उनके द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई थी। **उनके द्वारा कोई जप्ती नहीं की गई। उन्होंने किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये थे और उक्त साक्षी ने स्वतः व्यक्त किया कि मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला।** उसे नहीं मालूम कि घटना स्थल अंशू राजपूत का खेत है, या नहीं, उसे सुखसेन कोल ने बताया था, उस आधार पर प्रकरण बनाया है। उक्त स्थिति महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य है।

11. परिवादी कंपनी की ओर से यह परिवाद पत्र विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा–135(4) सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–100(4) के तहत यह प्रावधान है कि ऐसे किसी स्थल का निरीक्षण यदि अपराध के संबंध में किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि वहां स्थानीय दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उसका स्वतंत्र साक्षी बनाया जावे और यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्षी बनने से इनकार कर दिया जावे, तो अन्य समीपस्थ स्थानीय व्यक्तियों को ऐसे निरीक्षण का गवाह बनाया जावे। उक्त संबंध में विधि का उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के अधिभोग के परिसर में यदि निरीक्षण किया जावे, तो इस बाबत् स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में कार्यवाही की ऋजुता और निष्पक्षता को बनाया रखा जा सके और उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत–***"Bapupuri Vs. Mahhya Pradesh Vidyut Vitran Co.Ltd"* 2009 (2) J.L.J. 168** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिव्यक्त किया है कि–According to sub-section (4) of section 100 of the code officer or other person who was making the search shall call upon two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place of search was situated ,who have been called and if no inhabitant of said locality was available or was willing to be a witness of the search, the authorized officer may issue an order in writing to them, or any of them. CW 1 DL. Koshtha has not called two independent witnesses of the said locality at the time of inspection and search of field owned by the appellant. He has not seized any article which was used for theft of electricity and no reason has been assigned as to why the seizure of 5 H.P motor pump, electric wire was not effected by which

direct connection was taken from the LT line. in this view of the matter, proceeding of inspection and search suffer from serious defect. It appears that CW 1 DL Shri Koshtha was not acquainted with the provisions of section 135 of the Act read with section 100 (4) of the Code. Under section 100 sub-section (8) of the Code, serious consequences are prescribed, if without reasonable cause the person or persons called upon to witness the search by an order in writing delivered or tendered to them refuses or neglects to attend shall be deemed to have committed the offence under section 187 of the Indian Penal code.

12. उपर्युक्त विधिक स्थिति के आलोक में यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी साक्षी विद्यासागर (प.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मौका स्थल के आसपास के किसी भी स्वतंत्र एवं स्थानीय व्यक्ति को विद्युत चैकिंग कार्यवाही का साक्षी नहीं बनाया है। इसी प्रकार दुष्यंत सिंह (प.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी भी स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं कराये हैं।

13. इस प्रकार परिवादी साक्षीगण द्वारा अभिकथित विद्युत ऊर्जा चोरी की चैकिंग की कार्यवाही के समय मौके/ग्राम के किसी व्यक्ति को बुलाकर साक्षी न बनाना एवं कार्यवाही में सम्मिलित कर संबंधित स्थल निरीक्षण पंचनामा प्रपत्र प्रदर्श पी–1 पर किसी भी स्वतंत्र–स्थानीय व्यक्ति के हस्ताक्षर न लेना, कार्यवाही को स्वमेव संदिग्ध बना देता है, विशेषकर जबकि परिवादी साक्षीगण विद्यासागर (प.सा.1) एवं दुष्यंत सिंह (प.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में मौका/घटना स्थल पर अभियुक्त अंशू राजपूत का नहीं मिलना व्यक्त किया है। इसी कारण प्रदर्श पी–1 के स्थल निरीक्षण पंचनामे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। यद्यपि परिवादी साक्षीगण विद्यासागर (प.सा.1) एवं दुष्यंत सिंह (प.सा.1) ने अपने मुख्य–परीक्षण में मौके पर अभियुक्त के कर्मचारी/हरवाहा सुखसेन कौल का उपस्थित होकर प्रदर्श पी–1 के पंचनामे पर हस्ताक्षर किये जाने से मना किया जाना व्यक्त किया है, किंतु अभिकथित उपस्थित व्यक्ति सुखसेन कौल के अभियुक्त के कर्मचारी/हरवाहा होने अथवा उससे संबंधित होने के परिप्रेक्ष्य में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, स्वयं परिवादी साक्षी विद्यासागर (प.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त व्यक्ति के अभियुक्त से संबंधित होने हेतु उसने कोई भी पहचान प्रमाण पत्र नहीं लिया तथा दुष्यंत सिंह (प.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–3 में बचाव पक्ष के इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सुखसेन, अंशू राजपूत का हरवाहा है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं और जो हरवाहा है, उसका नाम आदि के संबंध में प्रकरण में

कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने जिसका खेत बताया था, उसके आधार पर उनके द्वारा खेत बना दिया गया था। **कर्मचारी द्वारा जो नाम बताया गया था, वह सही है या गलत है, उस संबंध में उसके द्वारा कोई तस्दीक नहीं की गई।** फलतः उक्त स्थिति के बावजूद भी किसी भी स्वतंत्र–स्थानीय व्यक्ति को उक्त कार्यवाही में संयोजित न किए जाने का तथ्य सम्पूर्ण कार्यवाही की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना देता है।

14. इसके अतिरिक्त अभिकथित विद्युत चैकिंग के समय मौका स्थल पर **अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने एवं प्रदर्श पी–1 के स्थल निरीक्षण पंचनामे पर अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं होने** के आलोक में परिवादी विद्युत कंपनी की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध अवैधानिक रूप से विद्युत चोरी करने के संबंध में यह परिवाद मामला, मौकास्थल के आधिपत्यधारी अथवा उपयोगकर्ता होने के आधार पर प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है, किंतु परिवादी विद्युत कंपनी की ओर से घटना समयावधि में अभिकथित मौका–स्थल के अभियुक्त के स्वामित्व या आधिपत्य या नियंत्रणाधीन या उससे संबंधित होने अथवा उपयोगकर्ता (User) होने के परिप्रेक्ष्य में कोई राजस्व संबंधी प्रामाणिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उक्त परिप्रेक्ष्य में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत–***"Manoj Kumar v. BSES Rajdhani Power Ltd.*, 2013 SCC OnLine Del 1938 Para-12** में यह अभिव्यक्त किया है कि–Perusal of the statements of the witnesses shows that though all the witnesses have stated that the Appellant was the user of the premises however, they had no material on record to prove either in the form of documentary evidence. और उक्त संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत–**"M.P. Poorva Kshetra Vidyut Vitran Co.Ltd. Vs Natthu Ghoshi" {M.Cr.C.No.13571 of 2012 PRINCIPAL SEAT JABALPUR DECIDED ON 10/03/2015}** तथा **"M.P. Poorva Kshetra Vidyut Vitran Co.Ltd. Vs Umesh Sahu" {M.Cr.C.No. 276 of 2014 PRINCIPAL SEAT JABALPUR DECIDED ON 08 /05/2014}** में प्रतिपादित अभिमत भी अवलोकनीय है।

15. **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135(2)** में वर्णित प्रावधान के समतुल्य अभियोगित अपराध के समय प्रवर्तनीय–**मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता** के अध्याय–10 (विद्युत की चोरी) में भी यह प्रावधान किया गया है कि–''ऐसे परिसर में जहां विद्युत चोरी होना पाया गया हो, अनुज्ञप्तिधारी अथवा विद्युत प्रदायकर्ता द्वारा विद्युत चोरी के निमित्त (cause) का तत्काल निराकरण किया जाएगा, जिसके अनुसार उसके द्वारा वितरण प्रसंवाही (distribution

mains) तक तन्तुपथ, केबल/संयंत्र अथवा अन्य कोई वस्तु/उपकरण, मापयन्त्र जिन्हें विद्युत की चोरी के प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा है अथवा उपयोग किये जाने की शंका हो, को जब्त कर लिया जाएगा'' तथा **विद्युत अधिनियम की धारा–135(1)** में यह भी उपबंध किया गया है कि –''परंतु यह भी कि यदि यह साबित हो जाता है कि उपभोक्ता के पास कृत्रिम साधन या बोर्ड अथवा अनुज्ञप्तिधारी या प्रदायकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्राधिकृत न किये गए साधन विद्युत के खींचने, उपभोग या उपयोग के लिए विद्यमान हैं, तो यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक कि प्रतिकूल प्रमाणित न हो जाए, विद्युत खींचना, उपभोग या उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानीपूर्वक किया गया है।''

16. उक्त आलोक में परिवादी साक्षी साक्षी विद्यासागर (प.सा.1) एवं दुष्यंत सिंह (प.सा.2) ने अपने मुख्य–परीक्षण में सारतः मौके पर सामग्री जप्त कर उपस्थित व्यक्ति की सुपुर्दगी में दे दिया जाना व्यक्त किया है, किंतु उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया कि मौके से क्या सामग्री जप्त की गई थी और प्रदर्श पी–1 के स्थल निरीक्षण पंचनामे के अवलोकन से भी उसमें जप्त सामग्री के रूप में क्या सामग्री जप्त की गई, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख होना प्रकट नहीं होता है, स्वयं परिवादी साक्षी विद्यासागर सिंह (प.सा. 1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 में जप्त सामग्री में क्या सामग्री जप्त की गई, इसका कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही परिवादी साक्षीगण ने प्रदर्श पी–1 के पंचनामे में अभिकथित जप्तशुदा सामग्री को सुपुर्दगी में दिये जाने का कोई संतोषजनक एवं समाधानप्रद कारण भी अंकित नहीं होना व्यक्त किया है। फलतः परिवादी विद्युत कंपनी की ओर से अपनी साक्ष्य में मौके पर अभिकथित विद्युत ऊर्जा चोरी में प्रयुक्त उपकरण एवं साक्ष्य की मूल विषय–वस्तु तार इत्यादि को जप्त किये जाने के उपरांत उसे सबूत के तौर पर न्यायालय में स्वयं की साक्ष्य के प्रक्रम पर सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये जाने की विधिक आवश्यकता के विपरीत मौके पर ही अभियुक्त से इतर व्यक्ति को सुपुर्द किये जाने का कोई संतोषजनक एवं समाधानप्रद कारण प्रकट कर साबित नहीं किये जाने से भी अभिकथित जप्ती कार्यवाही सहित अभियोजन मामले की वास्तविकता में एक प्रबल संदेह उत्पन्न होता है, **विशेषकर जबकि परिवादी साक्षी दुष्यंत सिंह (प.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–4 में बचाव पक्ष के इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा कोई जप्ती नहीं की गई है।**

17. **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126(2)** के प्रावधान के अनुसार–''अनंतिम निर्धारण का आदेश, उस व्यक्ति पर जिसके अधिभोग में या

कब्जे में या प्रभाराधीन उक्त स्थान या परिसर है, ऐसी रीति से तामील किया जाएगा, जो विहित की जाए'' और तामीली के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–171 एवं 180 की उपधारा (1) के अंतर्गत म.प्र. राज्य द्वारा अधिसूचना क्रमांक–2312-XIII-2006 दिनांकित–7 अप्रैल, 2006 के तहत MADHYA PRADESH ELECTRICITY (MANNER OF SERVICE OF NOTICE, ORDER AND DOCUMENTS) RULES, 2006 निर्मित किये जाकर मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक–14 अप्रैल, 2006 से प्रवर्तनशील हैं। इस संबंध में तत्समय प्रवर्तनशील **मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता** के अध्याय–11 (विविध मामले) की कंडिका क्रमांक–11.7 में भी उपबंध किये गये हैं।

18. उक्त प्रावधानों के आलोक में यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी साक्षी विद्यासागर (प.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी–2 के अनंतिम निर्धारण आदेश एवं प्रदर्श पी–3 के सूचना पत्र को अभियुक्त पर व्यक्तिशः या डाक अथवा चस्पा द्वारा तामील करने के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं और न ही अभियुक्त को विद्युत चोरी किये जाने के संबंध में प्रदर्श पी–2 के अनंतिम निर्धारण आदेश एवं प्रदर्श पी–3 के सूचना पत्र को प्रदान किये जाने की कोई पावती प्रकरण में संलग्न है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार प्रदर्श पी–2 का अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील कराये जाने के संबंध में अभिलेख पर कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य भी विद्यमान नहीं है, जिससे अभियुक्त **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126(3)** के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण आदेश के विरुद्ध आक्षेप फाईल करने के अधिकार से वंचित हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत–***"W.B. State Electricity Distribution Co. Ltd. v. Orion Metal (P) Ltd."* (2020) 18 SCC 588** में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135 और 154(5) एवं (6) को वर्णित करते हुए उसके पैरा–12 में अभिव्यक्त किया है कि–A perusal of the aforesaid provisions and on giving a conjoint reading of the same, it appears to us that after an inspection of any place or any premises of any consumer, when the assessing officer comes to a conclusion that the consumer is indulging in unauthorised use of electricity, the provisional assessment to the best of his judgment is to be made in accordance with Section 126(1) of the Act and such provisional assessment shall be served upon the person in occupation of the premises. After giving an opportunity to file objections to the provisional assessment, the assessing officer is empowered to pass a final order of the assessment assessing the loss of energy, on account of unauthorised use of energy.

19. इस प्रकार उल्लेखनीय है कि परिवादी विद्युत कम्पनी की ओर से स्वत्रंत–स्थानीय साक्षीगण को अभिकथित कार्यवाही में सम्मिलित करने की प्रामाणिक साक्ष्य के अभाव में उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त मौका स्थल में अभियुक्त द्वारा अवैधानिक रूप से 5 होर्स पॉवर की विद्युत मोटर चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा की चोरी किये जाने के बिंदु पर सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में कोई फोटोग्राफ अथवा वीडियोग्राफी प्रस्तुत नहीं की गई है और परिवादी साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों के अवलोकन से तथा अभिलेख पर अभिकथित विद्युत चैकिंग कार्यवाही के समय मौका स्थल खेत पर अभियुक्त के उपस्थित होने का न तो कोई तथ्य विद्यमान है और न ही प्रदर्श पी–1 के स्थल–निरीक्षण पंचनामे में अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार मौका स्थल खेत का घटना समयावधि में अभियुक्त के स्वामित्व या आधिपत्य या नियंत्रणाधीन या उससे संबंधित होने के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रामाणिक दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है और अभिलेख पर मौका स्थल खेत से विद्युत ऊर्जा चोरी में प्रयुक्त अभिकथित जप्तशुदा सामग्री के परिप्रेक्ष्य में उसे सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रदर्शित भी नहीं कराया गया है।

20. फलतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से प्रकरण में शंकास्पदता या संदेह के कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत–***"W.B. State Electricity Distribution Co. Ltd. v. Orion Metal (P) Ltd." (2020) 18 SCC 588 Para-15*** में अभिव्यक्त किया है कि–It is a settled principle that to prove the guilt of the accused in a criminal proceeding, authorities have to prove the case beyond reasonable doubt and the element of *mens rea* is also to be established. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत–***"Khekh Ram v. State of H. P"*** **AIR 2017 SUPREME COURT 5255** के पैरा–23 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्त किया है कि–It is a common place proposition that in a criminal trial suspicion however grave cannot take the place of proof and the prosecution to succeed has to prove its case and establish the charge by adducing convincing evidence to ward off any reasonable doubt about the complicity of the accused. For this, the prosecution case has to be in the category of "must be true" and not "may be true". और न्यायदृष्टांत–***"State Of Gujarat vs Jayrajbhai Punjabhai Varu"*** **2016 Cri.L.J. 4185 (SC)** के पैरा–13 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्त किया है कि–The burden of proof in criminal law is beyond all reasonable doubt. The prosecution has to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt and it is

also the rule of justice in criminal law that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the view which is favourable to the accused should be adopted.

21. ऐसी स्थिति में उपर्युक्त विवेचना एवं उक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में युक्ति–युक्त संदेह से परे यह **प्रमाणित नहीं** होता हैं कि अभियुक्त ने **दिनांक–18.12.2018** को समय दोपहर **02:04 बजे** या उसके करीब **ग्राम सांची** स्थित खेत में परिवादी अनुज्ञप्तिधारी कंपनी के **100 के.व्ही.ए.** ट्रांसफार्मर से सीधे तार को अवैध संयोजन के माध्यम से जोड़कर **5 एच.पी.** की विद्युत मोटर चलाते हुए विद्युत ऊर्जा की चोरी कारित की एवं अभियुक्त के उक्त विद्युत ऊर्जा की चोरी के कृत्य से परिवादी कंपनी को विद्युत अधिनियम एवं टैरिफ के अनुसार **42,447/–** रुपये की राजस्व हानि हुई और अभियुक्त विद्युत अधिनियम की धारा–154 के अंतर्गत परिवादी विद्युत कंपनी को उक्त ऊर्जा की हानि के फलस्वरूप सिविल दायित्व राशि अदा करने के लिये उत्तरदायी है।

22. फलतः अभियुक्त **अंश उर्फ यशवंत राजपूत** को **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–135** के अपराध में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** कर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है।

23. अभियुक्त के जमानत–मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24. अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण के अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान निरोध में व्यतीत की गयी अवधि **निरंक** है, फलतः तद्संबंध में द.प्र.सं. की धारा–428 के अन्तर्गत निरोध प्रमाण पत्र बनाया जाकर निर्णय के भाग के रूप में प्रकरण में संलग्न किया जावे।

25. इस न्यायालय में प्रकरण संबंधी निराकरण योग्य कोई संपत्ति निक्षिप्त नहीं है।

26. निर्णय की एक प्रति परिवादी विद्युत कंपनी को उनके अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित की जावे।

27. निर्धारित परिशिष्ट निर्णय के साथ संलग्न हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–

(सचिन जैन)
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम,
जिला रायसेन (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही/–

(सचिन जैन)
विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम,
जिला रायसेन (म.प्र.)

नियम एवं आदेश (दांडिक) के अनुक्रम में संलग्न निर्धारित परिशिष्ट

प्रारूप – च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची :–

क. अभियोजन :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी)
प.सा.1	विद्यासागर	निरीक्षणकर्ता/सहायक यंत्री सतर्कता
प.सा.2	दुष्यंत सिंह	निरीक्षण दल सदस्य/कनिष्ठ यंत्री

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो तो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

क. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो तो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेष साक्षी, चिकित्सीय साक्षी)
निरंक	निरंक	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :–

क. अभियोजन :–

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी–1/प.सा.1, 2	मौका स्थल निरीक्षण पंचनामा
02.	प्रदर्श पी–2/प.सा.1	अनंतिम निर्धारण आदेश
03.	प्रदर्श पी–3/प.सा.1	नोटिस की कार्यालयीन प्रति

ख. प्रतिरक्षा :–

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :–

सं.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तु :–

सं.क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
निरंक	निरंक	निरंक

// निरोध अवधि प्रमाण–पत्र अंतर्गत धारा–428 द.प्र.सं. //

1.	अभियुक्त को बंदी बनाने का दिनांक	16.08.2022 (समर्पण दिनांक)
2.	पुलिस अभिरक्षा में निरोध अवधि	निरंक
3.	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निरंक
4.	अभियुक्त को यदि प्रतिभूति पर मुक्त किया गया था, तो उक्त अवधि का विवरण	16.08.2022
5.	अन्वेषण, जांच एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत कुल अवधि, जो मूल सजा में समायोजित की जाना है	निरंक

स्थान :– रायसेन (म.प्र.)
दिनांक :– 01.08.2024

सही/–
(सचिन जैन)
(मोहर) विशेष न्यायाधीश, विद्युत अधिनियम,
जिला रायसेन (म.प्र.)

SACHIN JAIN
Digitally signed by SACHIN JAIN
Date: 2024.08.01 16:04:30 +0530